## खास-खबरें

### छठ पूजा की तैयारियों में जुटे पीथमपुरवासी घाटों की सफाई और व्यवस्थाओं का निरीक्षण



**नईदुनिया, प्रतिनिधि, पीथमपुरः** छठ महापर्व को लेकर पीथमपुर में उत्तर भारतीय समाज सहित स्थानीय रहवासियों में उत्साह का माहौल है। पर्व की तैयारियों को देखते हुए नगर परिषद द्वारा घाटों की साफ-सफाई और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। पेयजल, प्रकाश और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेश पटेल, सीएमओ आरती गिरवाल, विजय अहीर, सब इंजीनियर सुधीर ठाकुर सहित अन्य लोगों ने विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान घाटों की साफ-सफाई, पेयजल, लाइट और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने पर्व के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

### प्रसूता-नवजात की मौत पर बोलाई स्वास्थ्य केंद्र में हंगामा



**नईदुनिया, प्रतिनिधि, शाजापुरः** बोलाई स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के बाद प्रसूता की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। जानकारी के अनुसार मोनिका और उनके नवजात की स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि नर्सिंग स्टॉफ की लापरवाही से गर्भवती महिलाओं और उनके नवजात की जान पर मुसीबत बनी हुई है। पूर्व में भी स्टॉफ की लापरवाही से प्रसूता और उसके बच्चे की मौत हो गई थी, लेकिन जिम्मेदारों ने लापरवाह स्टॉफ को नही हटाया नतीजतन शुक्रवार को फिर एक प्रसूता और उसके नवजात की मौत हो गई। इस दौरान केंद्र पर पहुंची सीएमएचओ कमला आर्य को भी परिजनों के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि इसी स्वास्थ्य केंद्र पर पूर्व में भी प्रसव के दौरान एक मौत हो चुकी है। इसके बावजूद नर्सिंग ऑफिसर अनुसुइया और एएनएम मधुबाला को यहां से नहीं हटाया गया है। इस पर सीएमएचओ ने दोनों कर्मचारियों को निलंबित करने का आश्वासन दिया। साथ ही एक जांच टीम गठित कर बीएमओ को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद मामला शांत हुआ।

### बालिका हत्याकांड में फांसी की सजा और निष्पक्ष जांच की मांग, भीम आर्मी ने सौंपा ज्ञापन



**नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौरः** थाना क्षेत्र के ग्राम लुक्का में सात वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना के विरोध में शुक्रवार को भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरदार पटेल चौराहे से थाना परिसर तक पैदल मार्च निकाला और जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के नाम नायब तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में मामले की निष्पक्ष जांच कर प्रकरण फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने, आरोपी को फांसी की सजा दिलाने और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की गई। साथ ही परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी देने, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कठोर कानून बनाने और मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग भी उठाई गई। संगठन ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय सीबीआई जांच कराने की मांग रखी।

**निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग:** भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष मंगलेश सूर्यवंशी ने कहा कि यह मामला केवल एक परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की निष्पक्षता से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को साक्ष्यों के आधार पर बचने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। उच्च अधिकारियों से सभी मांगों पर गंभीरता से विचार कर निष्पक्ष जांच के आदेश देने तथा दोषियों और लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई।

### सैकेंड एकलव्य टी-20 कॉरपोरेट ट्रॉफी में अलिशा और आरएसआई की शानदार जीत



**नईदुनिया, प्रतिनिधि, सीहोरः** शहर के बीएसआई मैदान पर एकलव्य क्रिकेट अकादमी के तत्वावधान में आयोजित सैकेंड एकलव्य टी-20 कॉरपोरेट ट्रॉफी लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन केकेआर खेरी आष्टा की टीम को दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। पहले मैच में अलिशा इंटरप्राइजेज ने केकेआर खेरी आष्टा को 147 रन से पराजित किया, जबकि दूसरे मुकाबले में आरएसआई ने एकतरफा प्रदर्शन करते हुए 10 विकेट से जीत दर्ज की। पहले मैच में अलिशा इंटरप्राइजेज के हरफनमौला खिलाड़ी सैय्यद जमरान जावेद ने 49 रन की शानदार पारी खेलने के साथ गेंदबाजी में भी 3 विकेट हासिल किए। प्रतियोगिता के दौरान कोच अतुल कुशवाहा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। पहले मुकाबले में अलिशा इंटरप्राइजेज ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 195 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। टीम की ओर से सलामी बल्लेबाज शाबिर मोहम्मद और औसफ उररहमान ने 36-36 रन की पारियां खेलीं।

# ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना के बाद विवाहिता की हत्या कर फंदे पर लटकाने का आरोप

- ससुराल के 6 लोगों पर हत्या का प्रकरण दर्ज करने की मांग
- मायके पक्ष ने एसपी को सौंपा शिकायती आवेदन

**नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर/राजगढ़:** नरसिंहगढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम संवास में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर अपनी बेटी को प्रताड़ित करने और हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटकाने का गंभीर आरोप लगाया है। इस संबंध में पीड़ित पिता ने राजगढ़ पुलिस अधीक्षक को लिखित आवेदन देकर ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज करने की मांग की है।

**फोन पर जताई थी अनहोनी की आशंका:** प्रहलाद सिंह के अनुसार, कुसुम अक्सर फोन पर अपने मायके में ससुराल वालों द्वारा की जा रही प्रताड़ना की जानकारी देती थी। उसने यह भी बताया था कि ससुराल वाले उसे फांसी लगाकर टांग देने की धमकी देते हैं। हालांकि, पिता के रूप में वे बेटी को यही समझाइश देते रहे कि समय के साथ धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ससुराल पक्ष की प्रताड़ना बंद नहीं हुई।

**1 नवंबर को मिली मौत की सूचना:** पीड़ित पिता ने बताया कि बीते 1 नवंबर 2026 को उनके पास फोन आया कि उनकी बेटी कुसुम ने फांसी लगा ली है। मायके पक्ष का आरोप है कि कुसुम ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि ससुराल वालों ने मिलकर पहले उसकी हत्या की और बाद में मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फांसी पर लटका दिया। मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर परिजन ने 4 नवंबर को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया है। पुलिस मामले में जांच करने की बात कह रही है।

### शादी के बाद से ही दी जा रही थी प्रताड़ना



पचोर तहसील के ग्राम बामनपुरा निवासी प्रहलाद सिंह पिता बनेसिंह ने एसपी को सौंपे आवेदन में बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री कुसुम बाई का विवाह 26 अप्रैल 2021 को ग्राम संवास तहसील नरसिंहगढ़ निवासी रवि पिता धनसिंह के साथ किया था। विवाह की रस्में शाजापुर जिले के ग्राम नौलाय से संपन्न हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति रवि, सास कलाबाई, ससुर धनसिंह, देवर अनिल व अंकित तथा देवरानी सीताबाई (पति अंकित) द्वारा कुसुम को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था।

### 64वें पशुपतिनाथ मेले के लिए छह सदस्यीय समिति गठित, कमलेश सिसौदिया बने सभापति

**मंदसौर।** भगवान पशुपतिनाथ महादेव के 64वें मेले के आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मेले को सुव्यवस्थित और भव्य रूप से संपन्न कराने के लिए नगर पालिका ने छह सदस्यीय मेला समिति का गठन किया है। इसमें पार्षद कमलेश सिसौदिया को सभापति नियुक्त किया गया है। नई समिति मेले की व्यवस्थाओं और आयोजन की रूपरेखा तैयार करने का काम संभालेगी। भगवान पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मेला 20 नवंबर से शुरू होगा। यह आयोजन लगातार 20 दिनों तक चलेगा। मेले में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु, पर्यटक और व्यापारी पहुंचते हैं। इस बार भी बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना है। इसे देखते हुए नगर पालिका ने आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। गठित समिति में सभापति कमलेश सिसौदिया के अलावा सुनीता भावसार, रेखा सोनी, दीपक गाजवा, गोरधन कुमावत और प्रीतम पंचोली को सदस्य बनाया गया है।

# लौकी-चावल के सेवन के साथ छठ महापर्व का शुभारंभ



**नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोरः** लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ हुई। सीहोर के भोजपुरी समाज के लोगों ने परंपरा के अनुसार लौकी-चावल का सेवन कर चार दिवसीय छठ महापर्व का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर समाज के पदाधिकारियों एवं श्रद्धालुओं ने छठ पर्व की तैयारियों का जायजा लेते हुए नदी घाट एवं परिसर की साफ-सफाई और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। छठ पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है।

छठ महापर्व के आयोजन को लेकर समाज के प्रतिनिधियों ने प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी से भी भेंट की। इस दौरान उनका सम्मान कर छठ महापर्व के अवसर पर नदी घाट पर पधारने का सादर निमंत्रण दिया गया।

भोजपुरी समाज के लोगों ने बताया कि छठ महापर्व को पूरी श्रद्धा और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मनाया जाएगा। पर्व के दौरान नदी घाट पर श्रद्धालु भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार एवं समाज की सुख-समृद्धि की कामना करेंगे।

### वार्ड 16 में 10.50 लाख रुपये की लागत से बनेगी नाली एवं नाले को किया जाएगा कवर्ड



**नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोरः** शहर में विकास कार्यों को गति देने और नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ नगर पालिका द्वारा लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में वार्ड क्रमांक 16 में नाले को कवर्ड करने के महत्वपूर्ण कार्य का भूमि पूजन नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर द्वारा जनप्रतिनिधियों एवं वार्डवासियों की उपस्थिति में किया गया।

इस कार्य के अंतर्गत राकेश राठौर के घर से लेकर विनोद के घर तक नाली निर्माण कार्य एवं विनोद राठौर के मकान से संतोष सिंह के मकान तक नाले पर जाली लगाकर उसे कवर्ड किया जाएगा। इस विकास कार्य पर 10 लाख 50 हजार रुपये की राशि खर्च की जाएगी। कार्य पूर्ण होने के बाद क्षेत्र के रहवासियों को काफी राहत मिलेगी। साथ ही खुले नाले के कारण होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी और क्षेत्र में स्वच्छता एवं सुरक्षा की स्थिति बेहतर होगी।

इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर ने कहा कि नगर पालिका का लक्ष्य केवल विकास कार्यों की घोषणा करना नहीं, बल्कि धरातल पर काम करके जनता को उसका लाभ पहुंचाना है। शहर के प्रत्येक वार्ड में नागरिकों की जरूरतों और समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर समझकर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि शहर के किसी भी वार्ड में मूलभूत सुविधाओं की कमी न रहे।

### सांची के ग्राम गुदरई में लगा जनविश्वास अभियान शिविर

**रायसेन।** सांची विकासखंड के ग्राम गुदरई में शुक्रवार को मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत जिला स्तरीय शिविर आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी और कलेक्टर रोहित सिसोनिया ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। शिविर में विधायक और कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों का भी समाधान किया गया।

विधायक डॉ. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आमजन की समस्याओं के शीघ्र निराकरण और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचाने के उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया है। शासन समाज के सभी वर्गों के कल्याण और विकास के लिए कार्य कर रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना और स्वरोजगार सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के हितलाभ पात्र हितग्राहियों को वितरित किए गए। शिविर में स्वास्थ्य, कृषि, महिला एवं बाल विकास तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने स्टॉल लगाए।

# नागदा के भारत कॉमर्स विद्यालय में विद्यार्थियों से मारपीट का आरोप

- प्राचार्य केबी गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज

**नईदुनिया प्रतिनिधि, नागदाः** उज्जैन जिले के औद्योगिक नगर नागदा स्थित भारत कॉमर्स विद्यालय में विद्यार्थियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। विद्यालय के प्राचार्य केबी गुप्ता पर विद्यार्थियों को मुर्गा बनाकर जूते समेत लात मारने और कांटेदार लकड़ी से हाथों पर पिटाई करने के आरोप लगे हैं।

घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें प्राचार्य बच्चों को मुर्गा बनाकर लात मारते दिखाई दे रहे हैं। घटना 12 नवंबर की सुबह करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है।

मामले में विद्यार्थी के पिता दिनेश सिसोदिया ने 13 नवंबर को बिड़ला ग्राम थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे को पहले कांटेदार लकड़ी से हाथों पर पीटा गया और फिर मुर्गा बनाकर पीछे से लात मारी गई। पिता के अनुसार, मारपीट के बाद से बच्चा दर्द से परेशान है।

मामले को लेकर विद्यालय समिति के अध्यक्ष एसएन शर्मा से दूरभाष पर चर्चा की गई। इन दिनों गुजरात के वडोदरा में मौजूद शर्मा ने घटना की जानकारी मिलने पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। वहीं, शिक्षण समिति के उपाध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत ने कहा कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो प्राचार्य को निलंबित किया जाएगा।

घटना की कवरेज करने पहुंचे बालाजी नेटवर्क के मीडियाकर्मी दीपक चौहान ने भी प्राचार्य पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। चौहान ने बताया कि वह इस संबंध में प्रेस क्लब के माध्यम से पुलिस को शिकायत देंगे।

पीड़ित विद्यार्थी के पिता दिनेश सिसोदिया ने बताया कि जब वह प्राचार्य से बात करने पहुंचे तो कथित तौर पर उनसे कहा गया कि यदि विद्यालय में बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो उसका प्रवेश कहीं और करवा दें। सिसोदिया ने स्पष्ट किया कि अब वह अपने बच्चे को इस विद्यालय में नहीं पढ़ाएंगे। इसी बीच एक अन्य विद्यार्थी ने भी मीडिया के सामने आरोप लगाया कि प्राचार्य ने उसके घर पहुंचकर उसके साथ मारपीट की थी। इस आरोप के बाद मामला और गंभीर हो गया है।

उल्लेखनीय है कि भारत कॉमर्स विद्यालय के प्राचार्य केबी गुप्ता कुछ माह पहले भी विवादों में आए थे। उस समय विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के बाल काटे जाने को लेकर हंगामा हुआ था। बताया जाता है कि गुप्ता पूर्व में नवोदय विद्यालय नागदा में सेवारत थे और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें भारत कॉमर्स विद्यालय में नियुक्त किया गया।

विद्यार्थियों के साथ कथित मारपीट का वीडियो सामने आने और अभिभावक की पुलिस शिकायत के बाद अब विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं।

# महाकाल मंदिर में विधायक के बेटे ने प्रतिबंधित क्षेत्र में बनाई रील, सुरक्षा कंपनी पर पांच लाख का जुर्माना

उज्जैन। श्री महाकालेश्वर मंदिर में मोबाइल से फोटो और वीडियो बनाने पर प्रतिबंध के बावजूद भाजपा विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला द्वारा मंदिर परिसर में रील बनाने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाली कोर कंपनी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही तीन सुरक्षाकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।

वायरल वीडियो में रुद्राक्ष शुक्ला मंदिर के नीलकंठ द्वार से प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद वे मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए चांदी द्वार तक पहुंचते हैं। इस दौरान मंदिर के प्रतिबंधित क्षेत्र में पूजा, अभिषेक और आरती करते हुए भी रील बनाए जाने की बात सामने आई है। आरोप है कि इस दौरान तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोकने के बजाय प्रोटोकॉल के तहत दर्शन कराए। बताया जा रहा है कि वीडियो करीब एक सप्ताह पुराना है, जो अब सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ है। मामला सामने आने के बाद मंदिर समिति ने इसे गंभीरता से लिया। सहायक प्रशासक आशीष फलवाडिया ने बताया कि घटना के संबंध में कार्रवाई की गई है।

**मंदिर में सभी के लिए समान नियम हों : शैलशानंद महाराजः** मामले को लेकर महामंडलेश्वर शैलशानंद महाराज ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर में आम श्रद्धालुओं को मोबाइल ले जाने से रोका जाता है, जबकि प्रभावशाली लोगों को प्रतिबंधित क्षेत्र तक पहुंचने और वीडियो बनाने की छूट मिल जाती है। मंदिर में सभी के लिए नियम समान होने चाहिए।

उन्होंने कहा कि महाकाल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था वैष्णो देवी जैसे बड़े धार्मिक स्थलों की तर्ज पर होनी चाहिए और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय या सशस्त्र सुरक्षा बलों को सौंपी जानी चाहिए।


**आम सूचना**

मै सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह से पहले का नाम यशोदा शर्मा पुत्री श्री रमेश शर्मा था तथा मेरे शैक्षणिक दस्तावेजो मे यशोदा शर्मा पुत्री श्री रमेश शर्मा नाम दर्ज है । मेरे बिवाह के बाद नाम श्रीमती जया शर्मा हो गया है विवाह के बाद से मुझे यशोदा शर्मा ओर श्रीमती जया शर्मा दोनो नाम से जाना ओर पहचाना जाता है । मुझे भविष्य मे यशोदा शर्मा उर्फ श्रीमती जया शर्मा पत्नी स्व.श्री पवन शर्मा के नाम से जाना ओर पहचाना जावेगा ।

भवदीय

**यशोदा शर्मा उर्फ श्रीमती जया शर्मा पत्नी स्व.श्री पवन शर्मा 53 शारदा नगर नरेलाशंकरी भोपाल**

4016

**नाम परिवर्तन सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम MAYA TAPAN HALDAR था। जो मेरे पासपोर्ट पर अंकित है। किंतु अब मेरा नाम परिवर्तित होकर MAYA HALDAR RAY हो गया है। अतः अब मुझे मेरे इसी नए नाम MAYA HALDAR RAY के नाम से जाना व पहचाना जाए।

**ADDRESS: 36, ROYAL BHAGWAN ESTATE, GEHUKHEDA, KOLAR, BHOPAL, MADHYA PRADESH**

4015

**In The Court Of XII Civil Judge Class-II, District Court, Gwalior**
**Presiding Officer: राजन गुप्ता**
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)
**(RCS A/0000774/2026)**
Process Id- 14/2026 पेशी दिनांक :- 07/12/2026
**तारिक हसन.....वादी V/s सितारा देवी.....प्रतिवादी**

प्रेषिती- (1) कु. बदर जहाँ पिता स्व. श्री मंसूर शाह पता- राणे खां की गोठ, दही मंडी दौलतगंज ग्वालियर (2) भगवत सहाय पिता स्व. श्री रमेशचंद्र अग्रवाल पता- सेवा नगर ग्वालियर (3) सितारा देवी पति स्व. श्री रमेशचंद्र अग्रवाल पता- राणे खां की गोठ, दही मंडी दौलतगंज ग्वालियर (4) फराह खानिद खान पिता स्व. श्री कौशर शाह पता- नेशनल सिल्क मिल्स कंपाउंड पैठण रोड औरंगाबाद, संभाजी नगर महाराष्ट्र (5) रामकुमार पिता स्व. श्री रमेशचंद्र अग्रवाल पता- राणे खां की गोठ, दही मंडी दौलतगंज ग्वालियर (6) फैसल शाह पिता स्व. श्री कौशर शाह पता- राणे खां की गोठ, दही मंडी दौलतगंज ग्वालियर (7) सुहूही जावेद हुसैन पिता स्व. श्री कौशर शाह पता- फ्लेट नंबर 306 सुखराज अपार्टमेंट कल्याणपुर पश्चिम लखनऊ (8) शारिक हसन पिता स्व. श्री मुख्तार हसन उर्फ रईस मियाँ पता- संजय स्टेडियम के पीछे, सोनू किराना के पास आजाद मुहल्ला अशोकनगर (9) सुमेर हाफिज खान पिता स्व. श्री कौशर शाह पता- ए-509, हैलमार्क ट्रानिकवल एपलगुड़ा हैदराबाद तेलंगाना (10) श्याम पिता स्व. श्री रमेशचंद्र अग्रवाल पता- राणे खो की गोठ दही मंडी, दौलतगंज ग्वालियर (11) तुलसा बाई पति संजय पता- सेवा नगर, ग्वालियर (12) मोहनलाल पिता स्व. श्री रमेशचंद्र अग्रवाल पता- राणे खां की गोठ, दहीमंडी दौलतगंज ग्वालियर

यह कि प्रार्थी **तारिक हसन** ने आपके विरुद्ध के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के **30 दिवस** के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लिए सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें, जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हों अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें।आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एकपक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख **27 October, 2026** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

न्यायाधीश- **राजन गुप्ता**
**बारहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, ग्वालियर (म.प्र.)**

टिप्पणी :-
कृपया ध्यान दें:-1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

4017

**MADHYA PRADESH POWER GENERATING COMPANY LIMITED**
**Office of The Superintending Engineer (P&W), A.T.P.S., Chachai**
**Phone : 07659-299469, E-mail : sepnwatps23@gmail.com, Mobile : 9425808855**
**No. 001-04/P&W/NIT/2167** **Chachai, Date : 05.11.2026**

**NOTICE INVITING TENDER "Through E-tendering only"**

M.P. Power Generating Co. Ltd. invites electronic tenders from experienced contractors/ vendors for the works/supplies as detailed below for ATPS, MPPGCL, Chachai :-

| Tender-ID | Tender Particulars | Estimated Cost (Rs.) | Tender Cost (in Rs.) | Bid Sub-mission End Date & Time | Date & Time of opening of e-tender |
|---|---|---|---|---|---|
| MPPGCL Tender No.- 2026_ MPPGC_ 542275 | Procurement of AFFF (Aqueous Film Forming Foam) compound 3% concentration bearing ISI and IS:4989 part-II marked properly packed in 20 Ltr. sealed PVC Jerry cane and ABC Dry Chemical Powder MAP 60 percentage ISI Mark for fire section at ATPS MPPGCL Chachai. | 1387680/- | 1000/- | Dtd. 25.11.2026 Upto 15.00 hrs. | Dtd. 27.11.2026 from 15:30 hrs. onwards |
| MPPGCL Tender No.- 2026_ MPPGC_ 542273 | Supply, installation & commissioning of latest CO analyzer for the measurement of CO in flue gases at APH inlet (both left and Right) of 210 MW ATPS MPPGCL Chachai. | 7174400/- | 2000/- | Dtd. 25.11.2026 Upto 15.00 hrs. | Dtd. 27.11.2026 from 15:30 hrs. onwards |
| MPPGCL Tender No.- 2026_ MPPGC_ 542277 | Procurement of DCP Gun Type Trolly Mounted Wheeled Fire Extinguisher of 50 KG Capacity bearing IS:16018 ISI Mark for Fire Section of ATPS MPPGCL Chachai. | 4283400/- | 1000/- | Dtd. 25.11.2026 Upto 15.00 hrs. | Dtd. 27.11.2026 from 15:30 hrs. onwards |

**Note :-** For details please visit the website **www.mptenders.gov.in** for any change in specification/technical data please visit regularly website **www.mptenders.gov.in** Any addendum/corrigendum shall not be published in newspaper.
M.P. Madhyam/129075/2026 *"SAVE ELECTRICITY"* **SE (P&W)**

**न्यायालय सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पिपरिया जिला नर्मदापुरम**

**प्ररूप-ख**

**(मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) नियम, 2013 के नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)**

**रा.प्र.क्र./0006/अ-82/2025-26** **नर्मदापुरम, दिनांक**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भूमिगत पाईप लाईन के माध्यम से स्वचालित स्प्रिंकलर/ड्रिप प्रणाली से सिंचाई बावत् पानी परिवहन हेतु ग्राम गाडरवारा खुर्द प.ह.नं. 03 तहसील वनखेडी जिला नर्मदापुरम में कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए। और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए। अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है। कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पिपरिया जिला नर्मदापुरम मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

**अनुसूचि :-**

| जिला | तहसील | ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| नर्मदापुरम | वनखेडी | ग्राम गाडरवाराखुर्द प.ह.नं.03 | 91/2/1/1/1/12 | 0.018 |
| नर्मदापुरम | वनखेडी | ग्राम गाडरवाराखुर्द प.ह.नं.03 | 92/3 | 0.004 |
| नर्मदापुरम | वनखेडी | ग्राम गाडरवाराखुर्द प.ह.नं.03 | 105/1 | 0.024 |
| नर्मदापुरम | वनखेडी | ग्राम गाडरवाराखुर्द प.ह.नं.03 | 105/3 | 0.004 |
| नर्मदापुरम | वनखेडी | ग्राम गाडरवाराखुर्द प.ह.नं.03 | 106/1 | 0.019 |
| नर्मदापुरम | वनखेडी | ग्राम गाडरवाराखुर्द प.ह.नं.03 | 107/1 | 0.016 |
| नर्मदापुरम | वनखेडी | ग्राम गाडरवाराखुर्द प.ह.नं.03 | 100/10/1 | 0.004 |
| नर्मदापुरम | वनखेडी | ग्राम गाडरवाराखुर्द प.ह.नं.03 | 110/2 | 0.018 |
| नर्मदापुरम | वनखेडी | ग्राम गाडरवाराखुर्द प.ह.नं.03 | 120/3 | 0.016 |
| नर्मदापुरम | वनखेडी | ग्राम गाडरवाराखुर्द प.ह.नं.03 | 120/4 | 0.013 |
| नर्मदापुरम | वनखेडी | ग्राम गाडरवाराखुर्द प.ह.नं.03 | 119/1 | 0.050 |
| | | **कुल योग** | **11** | **0.186** |

**(आकिप खान)**
**सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पिपरिया, जिला-नर्मदापुरम**

**जी-21395/26**